परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांङ्क: 19.08.2016 का कार्यवृत्त

आज दिनांङ्क 19.08.2016, दिन शुक्रवार को अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय के सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की आपात् बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ0 सुधीर अवस्थी, संकायाध्यक्ष, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 मुकेश रंगा, उपाचार्या, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
4.	डॉ0 अंशु यादव, उपाचार्या, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्या
5.	प्रो0 जितेन्द्र कुमार सिंह, प्राचार्य, सर्वोदय विद्यापीठ महाविद्यालय, सलोन, रायबरेली।	सदस्य
6.	प्रो0 नन्दलाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
7.	प्रो0 आर0सी0 कटियार, आचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
8.	डॉ0 मुनेश कुमार, उपाचार्य, शिक्षक–प्रशिक्षण विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
9.	डॉ0 बृजेश यादव, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
10.	डॉ0 विवेक द्विवेदी, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
11.	श्री रणजीत यादव, उपकुलसचिव, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	श्री राजबहादुर यादव, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

माननीय कुलपति जी द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

1. (क) सत्र 2015–16 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षाओं में योजित उड़नदस्तों की आख्या पर यू0एफ0एम0 समिति की अनुशंसा पर विचार :–

अनुचित साधन प्रयोग समिति के अध्यक्ष ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा सत्र 2015–16 में योजित विश्वविद्यालय के उड़नदस्तों की आख्या के आधार पर जिन महाविद्यालयों पर सामूहिक नकल/अभद्रता का आरोप निर्धारित किया गया है, से सम्बन्धित आख्या निम्नवत है :–

"In this report cases pertaining to Mass Copying for Under graduate part I and Post Graduate Examinations 2016 have been discussed. ....

....

....

The U.F.M committee further discussed the entire cases of Mass Copying reported by either flying squad or by Examiners and unanimously resolved that strict action must be taken against those centres where Mass Copying has been doubly established. Such action would send message to dissuade other Centres in future from such nefarious act and would ensure sanctity and fair conduct of examination.

The members of committee propose any of the following actions:

1. Cancellation of Examination centre for cases where Mass Copying has been established in Exam. of 2015 and 2016.
2. Cancellation of examination centre for cases where Mass Copying has been established in 2016 by two or more than two F.S.
3. A deduction in marks in the subject/paper charged for Mass Copying from 25-35% in cases where Mass Copying is established as under:

(i)	25%	-	Centres charged by one F.S./or one paper
(ii)	30%	-	Centres charged by two or more than two F.S. /or two papers
(iii)	35%	-	Centres charged in 2015 and 2016

U.F.M Committee acknowledges with thanks the support and assistance given by Hon'ble V C, Convener flying squad, Convener Coding cell, the Controller of Exam & Dy. Registrar of U.F.M."

जिन महाविद्यालयों पर सामूहिक नकल कराये जाने की पुष्टि हुई है, उन महाविद्यालयों के सापेक्ष परीक्षा समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया :–

1. ऐसे महाविद्यालय जिनको सत्र 2015–16 की परीक्षा में उड़नदस्ते द्वारा या आन्तरिक परीक्षकों द्वारा पहली बार सामूहिक नकल में आरोपित किया गया है, उनके सम्बन्धित प्रश्नपत्रों के परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों में से 25% अंकों की कटौती कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय।
2. सत्र 2015–16 की परीक्षा में ऐसे महाविद्यालय जिनको उड़नदस्ते द्वारा 02 या 02 से अधिक बार सामूहिक नकल में आरोपित किया गया है तथा ऐसे महाविद्यालय जिनको सत्र 2014–15 एवं 2015–16 में उड़नदस्ते द्वारा सामूहिक नकल में आरोपित किया गया है, उनके सम्बन्धित प्रश्नपत्रों के परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों में से 30% अंकों की कटौती कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय। उक्त श्रेणी के महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता देने की कार्यवाही सम्बद्धता समिति के निर्णयाधीन किए जाने का निर्णय परीक्षा समिति ने *सर्वसम्मति से लिया।*

   उक्त प्रकार के सामूहिक नकल में आरोपित महाविद्यालयों को सामूहिक नकल में आरोपित न होने/होने सम्बन्धी प्रमाणपत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में श्रेणीवार युक्तियुक्त निर्णय लेने हेतु परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

   साथ ही परीक्षा समिति ने यू0एफ0एम0 समिति की अनुशंसा पर 09 महाविद्यालयों को सामूहिक नकल के आरोप से मुक्त करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया।
3. व्यक्तिगत (Personal) श्रेणी में नकल में आरोपित छात्रों के प्रकरण नियमानुसार निस्तारित किए जाने का निर्णय परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से लिया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (यू.एफ.एम./परीक्षा)

(ख) सत्र 2015–16 की एलएल0बी0 पाठ्यक्रम की सम सेमेस्टर परीक्षाएं 06 सितम्बर, 2016 से प्रारम्भ कर सम्पन्न कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

19/8

(प्रो० जे0वी0 वैशम्पायन)
कुलपति

19/8/16

(राजबहादुर यादव)
परीक्षा नियंत्रक